न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 45 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

1. भीखाराम पुत्र श्री भूरारामजी कौम बनाम जाट साकिन सरेली की ढाणी डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

1.भलाराम पुत्र राणाराम
2.खरथाराम पुत्र राणाराम
3.लूम्भाराम पुत्र राणाराम
4.अणची पुत्री राणाराम
5.कमला पुत्री राणाराम
6.धापूदेवी पत्नी राणाराम
7.तेजाराम पुत्र भूराराम
8.मेहराराम पुत्र गुमनाराम
9.देराजराम पुत्र गुमनाराम
10.नगाराम पुत्र गुमनाराम
11.रामू देवी पत्नी गुमनाराम
जातियान जाट निवासी सरेली की ढाणी डंडाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
12.शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे.शाखा सिणधरी
13.शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. शाखा राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिणधरी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 127/2016 बअनवान राणाराम का.मु. बनाम तेजाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

उपस्थिति

1. वकील श्री रामस्वरूप शर्मा अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटगण बावजूद तामील/सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 07.04.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सरेली की ढाणी की संयुक्त खातेदारी पैतृक पुश्तैनी भूमि खेत खसरा संख्या 405 रकबा 25.03 बीघा, खसरा संख्या 419 रकबा 31.12 बीघा, खसरा संख्या 512 रकबा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 513 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 514 रकबा 126.08 बीघा, खसरा संख्या 544 रकबा 38.04 बीघा कुल रकबा 222.04 बीघा, मौजा धतरवालों की ढाणी के खसरा संख्या 546 रकबा 104.15 बीघा, खसरा संख्या 556 रकबा 30.04 बीघा कुल रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

134.19 बीघा पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में स्थित राजस्व भूमि की घोषणा करवाई जाकर बंटवाड़ा करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के दावा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अंतिम डिक्री जारी कर दी गई उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिणधरी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सिणधरी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार सिणधरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह वंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि हस्तगत अपील प्रार्थी के संज्ञान में आने के बाद प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली की नकले मांगी जो नकलें दिनांक 17.03.2020 को मिलने के पश्चात सम्पूर्ण भारत वर्ष एवं समस्त राजस्थान में कोविड–19 के तहत लॉकडाउन जारी होने तथा मैं प्रार्थी/अपीलांट हार्ट का मरीज होने से लॉकडाउन में बाहर आ–जा नहीं सका तथा उक्त अपील वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.07.2017 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का सजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रति हस्ताक्षकर किये गये है। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.07.2017 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव नहीं बनाया गया प्रतिवेदित होता है। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 127/2016 बअनवान राणाराम का.मु. बनाम तेजाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2020 को अपास्त

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अपीलांट के हिस्से एवं कब्जा काश्त की भूमि का अलग बंटवारा करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 19.05.2021 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेष आज दिनांक 07.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर